

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् Council of Scientific & Industrial Research अनुसंधान भवन २ रफी मार्ग नई दिल्ली110001 Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi-110001



सं_o/No. SP-13022/2/2025-S and P-CSIR HQ (E 181282) दिनांक

दिनांक/Date: 30TH June, 2025

सेवा में / To.

The Directors/ Heads of all CSIR Laboratories/Instts. /Units सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एकको के निदेशक/प्रमुख

विषय/Sub: Compliance of Public procurement (Preferences to Make in India) order 2017.

महोदया/ महोदय/ Madam/Sir.

जीटीई छूट सूची के अंतर्गत किसी विशेष वस्तु की खरीद के मामले में, डीपीआईआईटी ने सीएसआईआर को निम्नानुसार सलाह दी है:

"इस संदर्भ में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/स्वायत निकाय के संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी जीटीई सहित सभी प्रकार की निविदाओं पर लागू है और इसका अक्षरशः और भावना दोनों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।"

In the case of a particular procurement of an item under GTE exemption list, DPIIT has advised CSIR as follows:

"In this context attention is drawn to the fact that PPP-MII order 2017 is applicable to all kind of tenders including GTEs, floated by Central Ministries/ Departments/Attached or Subordinate Office of an Autonomous Body controlled by the Government of India and must be strictly followed in both letter and spirit".

2. उपरोक्त सलाह उस शिकायत के जवाब में दी गई है कि विवादित निविदा पीपीपी-एमआईआई आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें खरीदी जाने वाली वस्तु की अनुमानित लागत से 6 गुना अधिक वार्षिक टर्नओवर की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। The above advice has been tendered in response to a complaint that the impugned tender was in violation of PPP-MII order since it had stipulated annual turnover requirement at more than 6 times the estimated cost of the item to be procured.

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सीएसआईआर में सभी खरीद करने वाली संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे 19/07/2024 को संशोधित पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, चाहे वह वस्तु जीटीई छूट के अंतर्गत हो या नहीं। यह ध्यान रखना उचित है कि जीटीई अनुमित केवल गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भागीदारी की अनुमित देती है जो वर्ग-I/II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हालाँकि, पीपीपी-एमआईआई आदेश की अन्य सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी को प्रतिबंधित न किया जा सके, यदि कोई हो, यहाँ तक कि जीटीई में भी।

In view of the above, all the procuring entities in CSIR are advised to ensure compliance to the PPP-MII order 2017 amended on 19/07/2024, in letter and spirit, in all future procurements regardless of whether the item is under GTE exemptions or not. It is pertinent to note that GTE permission only allows participation by non-local suppliers who do not meet the local content requirements of Class-I/II local suppliers. However, all other stipulations of PPP-MII order need to be followed scrupulously so as not to restrict participation of local suppliers, if any, even in a GTE.

4. कृपया इसे अपनी प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई के सभी खरीद अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

This may kindly be brought to the notice of all the procurement officials of your Lab./Instt. /Unit.

भवदीय /Yours faithfully,

(सतीश चन्द्र /Satish Chandra) भण्डार एवं क्रय अधिकारी /Stores & Purchase Officer

E-Mail: spo.policy@csir.res.in